+

कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
गो0 ब0 पंत कृषि0 एवं प्रौ0 वि0वि0, पंतनगर

पत्रांक संख्या : अ.छा.क/ 873 दिनांक:- 9 अप्रैल, 2021

सूचना

विषयः– मण्डी समिति छात्रवृत्ति केवल कृषि, मत्स्य संकाय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों के लिये

वर्ष 2020–21 के प्रथम वर्ष के लिये विश्वविद्यालय में अध्ययनरत कृषि स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों से उत्तराखण्ड कृषि मण्डी परिषद द्वारा लागू छात्रवृत्ति योजना के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। अधोहस्तक्षरी के कार्यालय में आवेदन पत्र दिनांक 20.04.2021 तक पूर्ण रूप से भरे आ जाने चाहिए। दिनांक 20.04.2021 के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदनकर्ता को निम्नलिखित शर्ते पूरी करना अनिवार्य हैं जो छात्र निर्धारित शर्तो को पूरा न करते हों, वे आवेदन करने हेतु अर्ह नहीं है।
उपरोक्त छात्रवृत्ति की दर रू0 1500/– प्रति माह है। इच्छुक छात्र आवेदन पत्र विश्वविद्यालय बेवसाइट पर स्टूडेण्ट कार्नर से डाउनलोड प्राप्त कर सकते है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र संबंधित प्रपत्रों के साथ इस कार्यालय में जमा करें।

शर्ते एवं नियम

1. विश्वविद्यालय के छात्रवृत्ति की संख्या निम्न प्रकार होगी:

	कृषि संकाय	मत्स्य संकाय
स्नातक स्तर के लिये	20	05
स्नातकोत्तर स्तर के लिये	05	02

2. लघु एवं सीमांत कृषकों, खेतीहार मजदूरों तथा मण्डी कार्मिकों व मण्डी सचिवों के पुत्र व पुत्रियों तथा उन पर पूर्ण रूप से आश्रित ही छात्रवृत्ति हेतु पात्र होंगे तथा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा।
3. छात्रवृत्ति की सुविधा उन्हीं मण्डी क्षेत्रों के कृषकों हेतु अनुमन्य होगी जहाँ विनिमानय लागू हुआ हो अर्थात धारा 9 व 10 मण्डी अधिनियम के अन्तर्गत लागू हुआ हों।
4. छात्रवृत्ति का आधार मैरिट होगा। स्नातक पाठयक्रम के छात्र/ छात्राओं हेतु इस विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में चयन की मैरिट होगा जबकि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु स्नातक स्तर के प्राप्तांक या ओ.जी.पी.ए. होगा।
5. छात्रवृत्ति हेतु छात्र/ छात्रा को उत्तराखण्ड का निवासी होनाा आवश्यक है।

Scanned with CamScanner

6. एक बार छात्रवृत्ति स्वीकृत होने पर छात्रवृत्ति का देयता सम्पूर्ण पाठयक्रम के पूर्ण करने हेतु होगी। वशर्ते छात्रवृत्ति योजना मण्डी परिषद द्वारा उस समय लागू रहती हो।
7. छात्र को यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति विश्वविद्यालय या अन्य श्रोत से प्राप्त हो रही है तो ऐसी दशा में मण्डी परिषद द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति अथवा अन्य छात्रवृत्तियों में से एक छात्रवृत्ति चुनकर अन्य छात्रवृत्ति वापस करनी होगी।
8. छात्रवृत्ति की पात्रता निर्धारण हेतु स्नातक व स्नातकोत्तर पाठयक्रम को समान मान (बेटेज) दिया जायेगा।
9. किसी भी छात्र के अनुवर्ती परीक्षा में असफल होने के शिक्षण परिविक्षिका आचरण परिविक्षिका पर होने की दशा में छात्र को छात्रवृत्ति से वंचित समक्षा जायेगा। छात्र/छात्रा को सम्पूर्ण शिक्षण अवधि में अच्छा अनुशासन व आचरण रखना अनिवार्य होगा। यदि छात्र आचरण परिविक्षा में रखा जाता है तो छात्रवृत्ति उसी अवधि के लिये विडा कर ली जायेगी तथा आचरण परिविक्षा की समाप्ति के बाद पुनः छात्रवृत्ति दी जायेगी।
10. यदि किसी समय यह ज्ञात होता है कि छात्र/छात्रा ने कोई सूचना छिपायी है अथवा छिपवाई है तो बिना सूचना के छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जायेगी।
11. शर्त 2,3,4,5 पूरी करने के लिये आवेदन पत्र के साथ मूल प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अन्य शर्ते पूरी करने के लिये छात्र एवं छात्रा के अभिवावक द्वारा शर्तानुसार घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये घोषणा पत्र छात्र के सलाहकार द्वारा प्रमाणित होनी आवश्यक है।

18/10/2021

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

नोटः– उपरोक्त छात्रवृत्ति के लिये कृषि/मत्स्य संकाय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के छात्र ही आवेदन करें।

प्रतिलिपिः–

1. अधिष्ठाता कृषि, अधिष्ठाता मत्स्य एवं अधिष्ठाता स्नातकोत्तर महाविद्यालय।
2. कृषि महाविद्यालय एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सूचना पटों पर।
3. गॉधी भवन, सरोजनी, नेहरू भवन, मिनाक्षी भवन, सी0बी0 द्वितीय के सूचना पटों पर।
4. कुलसचिव/ वि0वि0 पुस्तकालय/ छात्र कल्याण विभाग के सूचना पट पर।
5. प्रभारी वि0वि0 बेवसाइट को वि0वि0 की बेवसाइट पर अपलोड करने के लिए।

Scanned with CamScanner